न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **60/19 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2019/00257

1. श्री देवीलाल पिता तुलछा गाडरी निवासी हालेला, खाखरिया खेडी तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. प्रेमीबाई पिता फता गाडरी निवासी हालेला, खाखरिया खेडी तह. मावली।
2. मु. देऊबाई बेवा फता गाडरी निवासी हालेला, खाखरिया खेडी तह. मावली।
3. श्री उदा पिता गांगा गाडरी निवासी हालेला, खाखरिया खेडी तह. मावली।
4. श्रीमती पुष्पाकुंवर पत्नी किशनसिंह राजपूत निवासी भीमल हाल हालेला, खाखरिया खेडी तह. मावली।
5. श्रीमती यशवन्त कुंवर पत्नी निर्भयसिंह राजपूत निवासी भीमल हाल हालेला, खाखरिया खेडी तह. मावली।
6. श्रीमती कमलाकुंवर पत्नी प्रेमसिंह राजपूत निवासी भीमल हाल हालेला, खाखरिया खेडी तह. मावली।
7. श्रीमती मीनाकुंवर पत्नी नाहरसिंह राजपूत निवासी भीमल हाल हालेला, खाखरिया खेडी तह. मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
9. पटवारी, पटवार हल्का नूरडा तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री पवन सेन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 23.07.2021

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रठाना पटवार हल्का नूरडा के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1486, 1483, 1484 उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी एवं मेरी माता मु. लछुबाई पत्नी स्व. तुलछा गाडरी के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सेवार इन्द्राज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1488, 1489, 1487 उक्त वर्णित आराजीयात मे से आराजी नम्बर 1488 विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम पर संयुक्त रूप से एवं आराजी नम्बर 1489 विपक्षी संख्या 3 के नाम पर स्वतन्त्र रूप से एवं आराजी नम्बर 1487 विपक्षी सं. 4 से 7 के नाम पर संयुक्त रूप से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से अंकित हैं।

2. यह कि परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि का सभी सहखातेदारान के मध्य आपसी बंटवाडा किया हुआ है जिससे आराजी नम्बर 1486 व 1484 का 1/2 हिस्सा एवं 1483 सम्पूर्ण मुझ प्रार्थी के हिस्से पांती में है तथा आराजी नम्बर 1484 का 1/2 हिस्सा धुली पुत्री हीमा उर्फ हेमा पत्नी हरीराम गाडरी के हिस्से पांती में है और इसी अनुसार उक्त कृषि भूमियां हमारे उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं।

3. यह कि परिशिष्ट अ में वर्णित मुझ प्रार्थी की कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिए मुख्य रास्ते (सेर) के सटमा पश्चिमी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 3 की आराजी नम्बर 1488, 1489 के दक्षिणी भाग एवं विपक्षी संख्या 4 से 7 की आराजी नम्बर 1487 के उत्तरी भाग की भूमि पर अर्थात् 1488, 1489 तथा 1487 के मध्य की भूमि पर 15 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है जिससे होकर मैं प्रार्थी एवं मेरे पूर्वज हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर आते जाते रहे है तथा इसी आराजीयात की भूमि पर बने रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा मेरी कृषि भूमि पर लाते ले जाते आ रहे है तथा इसी अनुसार रास्ते का सदीप से मैं प्रार्थी एवं मेरे पूर्वज उपयोग उपभोग करते आ रहे है। साथ संलग्न नजरी नक्शें में रास्ता को चमकीले रंग से दर्शाया गया हैं। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि मुझ प्रार्थी के पास परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए परिशिष्ट ब में अंकित कृषि भूमि में स्थित रास्ते के अलावा अन्य कोई

वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है परन्तु वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 7 द्वारा आपस में मिलीभगत कर हम सलाह एक राय होकर उक्त वर्णित आराजीयात पर बने रास्ते जोर जबरदस्ती ट्रेक्टर से हाक कर अपनी जमीन में मिलाकर बाड बना दी और रास्ते को संकडा कर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आने जाने से रोक दिया है और समझाने पर भी नहीं मान रहे है। विपक्षी सं. 1 से 7 द्वारा उक्त रास्ते को हाक कर व बाड बनाकर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों पर आवागमन करने से रोक देने से मैं प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर आ जा नहीं पा रहा हूं और न ही अपनी जमीनों की सार सम्भाल, हकाई, बाड वगैरा ही करवा सक रहा हूं।

5. यह कि वर्तमान में मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिए एकमात्र रास्ता मुख्य मार्ग (सेर) के सटमा पश्चिमी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 3 की आराजी नम्बर 1488, 1489 के दक्षिणी भाग एवं विपक्षी संख्या 4 से 7 की आराजी नम्बर 1487 के उत्तरी भाग की भूमि पर अर्थात् 1488, 1489 तथा 1487 के मध्य की पाली पर बने रास्ते से होकर ही है और उक्त रास्ते से होकर सुगमता पूर्वक अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा ला व ले जा सकूंगा। इसके अलावा मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए कोई मार्ग न तो वर्तमान में है और न ही पूर्व में कभी रहा हैं। मुझ प्रार्थी ने मेरी कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिए विपक्षी संख्या 1 से 7 को उनकी आराजीयात के मध्य की भूमि (पाली) पर रास्ता देने बाबत् निवेदन किया किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 7 ने रास्ते देने से साफ इन्कार कर दिया और मुझ प्रार्थी व मेरे परिवारजनों के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः मुझ प्रार्थी की जमीनों में आवागमन करने के लिए मुख्य रास्ते से विपक्षी 1 से 7 की खातेदारी की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested

जिसका परिशिष्ट ब में वर्णन किया है उसके मध्य की (पाली) जमीन पर बैलगाडी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ जा सके उतनी चौडाई का रास्ता कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि मैं प्रार्थी अदा/जमा कराने को तैयार हूं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी की प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है क्योंकि मुझ प्रार्थी की जमीन में आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 7 की आराजी नम्बर 1488, 1489 तथा 1487 के बीच की जमीन (पाली) पर ही सदीप से बना हुआ है जिससे होकर ही मेरे पूर्वज पहले आते जाते थे एवं वर्तमान में मैं प्रार्थी इसी रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आ जा रहा हूं। लेकिन वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 7 द्वारा उक्त रास्ते को हाककर अपनी जमीन में मिलाकर बाड बनाकर रास्ते को संकडा कर देने से एवं मेरी जमीन में आने जाने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने की वजह से वर्तमान में मैं अपनी जमीनों में जाकर खेतों की साफ सफाई, बाड वगैरा भी नहीं करवा पा रहा हूं। ऐसी अवस्था में मुझ प्रार्थी की जमीनों तक पहूंचने के लिए विपक्षी सं. 1 से 7 की आराजी 1488, 1489 तथा 1487 मे से नया मार्ग कायम कराया जाना न्यायसंगत होकर आवश्यक है और विपक्षी संख्या 1 से 7 की आराजी भूमि में नया मार्ग कायम करना इसलिए भी सुविधाजनक है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 से 7 की खातेदारी की कृषि भूमि मुख्य रास्ते (सेर) एवं मेरी भूमियों के एकदम मध्य (सटमा) और निकट है। उपरोक्तानुसार मार्ग कायम करने से विपक्षी संख्या 1 से 7 को किसी तरह की कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी बल्कि नया मार्ग कायम नहीं करने से मैं प्रार्थी मेरी कृषि भूमि में आवागमन नहीं कर सकूंगा और सदैव के लिए मेरी [illegible] के उपयोग उपभोग से महरूम हो जाउंगा जिससे मुझ प्रार्थी को [illegible] एवं अपरिमित हानि होगी जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested

आंकलन किसी भी सूरत में किया जाना सम्भव नहीं होगा और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित भी होगा। सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

7. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 15.08.19 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 7 ने उनकी भूमि में स्थित रास्ते को ट्रेक्टर से हाककर जमीन में मिलाकर बाड बनाकर रास्ते को संकडा कर दिया और मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से आवागमन करने से रोक दिया जिसपर मुझ प्रार्थी ने मेरी कृषि भूमि तक पहूंचने के लिए उनकी आराजी के बीच की पाली (भाग) पर रास्ता देने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षी सं. 1 से 7 ने इन्कार कर दिया और हमारे साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हुए, उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

8. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि परिशिष्ट अ में अंकित आराजी पर पहूंचने के लिए परिशिष्ट ब में अंकित विपक्षी सं. 1 से 3 की खातेदारी की आराजी नम्बर 1488, 1489 के दक्षिणी भाग की भूमि पर एवं विपक्षी सं. 4 से 7 की आराजी नम्बर 1487 के उत्तरी भाग की भूमि पर अर्थात दोनो भूमि के मध्य की पाली पर 15 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाडी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौडाई में) मार्ग कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में रास्ताा के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 4, 5 को आदेशित किया जावें और उक्त रास्त का नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु मुझ प्रार्थी को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 7 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 7 प्रार्थी को उक्त रास्ता से होकर उसकी कृषि भूमियों में शान्तिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested

खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्व करे, न बाधित करे, प्रार्थी को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हांके नहीं, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की।

10. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :—

    1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

       प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी नम्बर 1486, 1483, 1484 में जाने के लिए मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हैं।

    2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया हैं। जो न्यूनतम दूरी का हैं।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें, रास्ते की चौडाई भी अंकित की जावे।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विपक्षीगण के आराजी नम्बर 1487, 1488, 1489 में से 0.06 बीघा भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही हैं जो 13.02 फीट चौडी हैं। जिसकी वर्तमान डी.एल. सी. दर 99,034 /– अक्षरे निन्यानवे हजार चौतीस रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 0.06 बीघा की कुल कीमत 29,710/– अक्षरे उन्नतीस हजार सात सौ दस रूपयें होना बताया हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा रठाना पटवार क्षैत्र नूरडा की आराजी नम्बर 1483, 1484, 1486 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 1448, 1488, 1489 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। उक्त रास्ता मुख्य रास्ते से सटमा होकर पश्चिम दिशा में स्थित है जो पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा हैं जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। विपक्षीगण की आराजी में से प्रस्तावित 15 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 13.02 फीट चौडाई का आराजी नम्बर 1487 में से 3 बिस्वा, 1488 में से 2 बिस्वा एवं 1489 में से 1 बिस्वा कुल 00.06 बिस्वा रास्ते हेतु प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 00.06 बिस्वा का रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान [illegible] [illegible] स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा रठाना पटवार क्षैत्र नूरडा की आराजी नम्बर 1483, 1484, 1486 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1487 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा में से 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 1488 रकबा 3 बीघा में से 2 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1489 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 13.02 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 99,034/— अक्षरे निन्यानवे हजार चौतीस रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 00.06 बिस्वा की कुल कीमत 29,710/— का दुगुना 59,420/— रूपयें अक्षरे उनसाठ हजार चार सौ बीस रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर खातेदार विपक्षी सं. 1 से 7 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 से 7 को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested